महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – इक्यासीवां संस्करण (माह दिसंबर, 2022)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 – जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिला एवं संस्कृति संरक्षण के मिले अधिकार
3. स्व–सहायता समूह की मदद से श्रीमती बत्तो बाई बनीं कराहल जनपद पंचायत की अध्यक्ष
4. स्थानीय सतत् विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला
5. जनजाति समुदायों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 'थिंक एंड डू टैंक" राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
6. विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत पुरुस्कार
7. दुर्लभ वनोषधियों से समृद्ध है मध्यप्रदेश
8. खेती में सूचना प्रौद्योगिकी
9. समूह की महिलाएं अब मिक्चर मशीन संचालित कर रही है
10. सफलता की कहानी रूखमा की जुबानी
11. मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट रू जनजातीय समुदाय को मिले उनके अधिकार

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का इक्यासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का दसवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में स्थानीय सतत विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित प्रदेश के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 7 दिसम्बर 2022 को जम्बूरी मैदान भोपाल में किया गया। जिसे **''स्थानीय सतत् विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला''** एवं दीनदयाल शोध संस्थान एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की संयुक्त तत्वाधान में जनजाति समुदायों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 15 से 16 दिसंबर 2022 को ''थिंक एंड डू टैंक'' राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आरोग्यधाम, चित्रकूट के सभागार में किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल रहे जिसे **''जनजाति समुदायों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 'थिंक एंड डू टैंक'' राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन''** आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

साथ ही संस्करण में **''मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 – जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिला एवं संस्कृति संरक्षण के मिले अधिकार''**, **''दुर्लभ वनोषधियों से समृद्ध है मध्यप्रदेश''**, **''खेती में सूचना प्रौद्योगिकी''**, **''मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट रू जनजातीय समुदाय को मिले उनके अधिकार''**, **''विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायत पुरुस्कार''** एवं सफलता की कहानियों में **''स्व–सहायता समूह की मदद से श्रीमती बत्तो बाई बनीं कराहल जनपद पंचायत की अध्यक्ष''**, **''समूह की महिलाएं अब मिक्चर मशीन संचालित कर रही है''**, **''सफलता की कहानी रूखमा की जुबानी''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 – जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिला एवं संस्कृति संरक्षण के मिले अधिकार

म.प्र. के लिये 15 नम्वबर 2022 का दिन ऐतिहासिक रहा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति द्रोपदी मुर्मु जी की गरिमामयी उपस्थिति में जिला शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय वर्ग के सषक्तिकरण के लिये पेसा कानून के नये नियमों को लागू किया गया। देश के अनुसूचित जाति बहुलता वाले इलाकों को संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के रुप में पहचाना है। इस अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून के हिसाब से, संसद और विधानमण्डलों के ऊपर, देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायी यानि कानून बनाने कि शक्ति दी गयी है।

आजादी के बाद संविधान बनाते समय देश के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि अनुसूचित जाति इलाकों के प्रशासन को अलग ढंग से देखने और समझने की जरुरत है। आजाद देश में अनुसूचित जाति और जनजातीय अस्मिता बनी रहे इसके लिए पूरे देश के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग कानून बनाया गया।

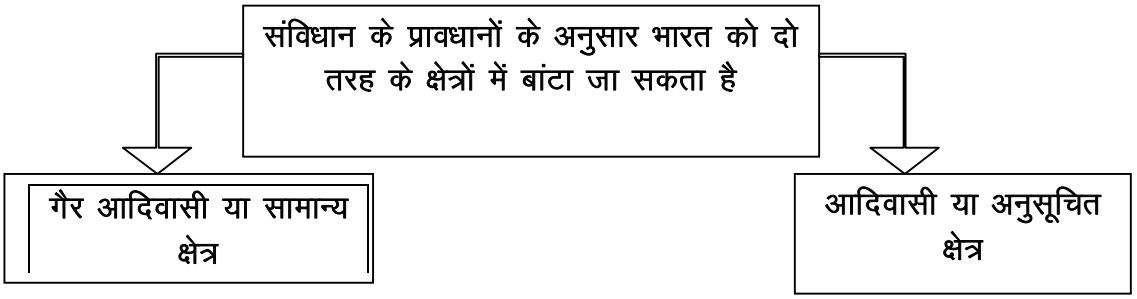

मध्यप्रदेश के 20 जिलों में पांचवी अनुसूची का क्षेत्र शामिल है। जिनमें झाबुआ, अलिराजपुर, मंडला, बड़वानी, डिंडोरी, अनूपपुर इन 06 जिलों का संपूर्ण क्षेत्र एवं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, श्योपुर,

धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन, सिवनी, शहडोल, सीधी, रतलाम और उमरिया इन 14 जिलों का आंशिक क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत 89 विकासखण्ड आते हैं

पेसा एक्ट के पांच प्रमुख अधिकार

- **पहला जमीन के अधिकार** – गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरा, बी–1 आदि ग्राम सभा को पटवारी और बीट गार्ड हर साल उपलब्ध कराएंगे। लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का भू –अर्जन नहीं होगा। गैर जनजातीय व्यक्ति छल–कपट या बहकाकर जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना खनिज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

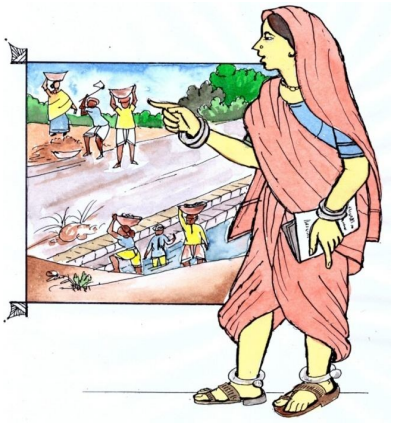

- **दूसरा जल के अधिकार–** तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी। मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन से आय ग्राम सभा रखेगी। तालाब–जलाशय की स्वच्छता इनके जिम्मे होगी। 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता की तालाब और जलाशय का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्रवाई का अधिकार ग्राम सभा को होगी।
- **तीसरा जंगल के अधिकार–** लघु वनोपज वनोंपजो एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन का अधिकार, जंगल की उपज अचार गुठली, करंज बीज, महुआ, लाख, गोंद, हर्रा, बहेरा,आंवला, आदि का संग्रहण, विपणन, मूल्य निर्धारण और विक्रय कर सकेंगे। ग्राम सभा या उनकी समिति रेट तय करेगी। ग्राम सभा चाहे तो तेंदू पत्ते का संग्रहण और विपणन करें।
- **चौथा श्रमिकों के अधिकार–** हर पात्र मजदूर को मांग आधारित काम मिले। ग्राम सभा साल भर की कार्ययोजना बनाएगी और पंचायत इसका अनुमोदन करेगी। केंद्र और राज्य की रोजगार मूलक योजनाओं में कार्यों का निर्धारण ग्रामसभा करेगी। रोजगार मूलक कार्यों में मस्टररोल की गलतियों को ठीक करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी साहूकार द्वारा शोषण पर ग्राम सभा अनुशंसा के साथ उपखंड अधिकारी को शिकायत भेज सकेगी। किसी हितग्राही मूलक योजना में गांव के सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले पात्र हितग्राही को मिलेगी प्राथमिकता।
- **पांचवा जनजातीय गौरव के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार–** स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण। कोई भी नई शराब अथवा भांग की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी। अस्पताल, स्कूल व धार्मिक स्थल के पास शराब, भांग की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की अनुशंसा का अधिकार भी होगा । सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं अवैध बिक्री को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा । स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र,आंगनवाड़ी ,आश्रम शाला एवं छात्रावासों में निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग का अधिकार ग्राम सभा को होगा। ग्राम में हाट बाजार और मेलों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा। एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन, यह समिति परंपरागत तरीकों से विवाद निपटारा करने में सक्षम होगी। सामाजिक सौहार्द्र और भाईचारा कम करने वाली किसी भी गतिविधि को समर्थन नहीं करेगी ग्राम सभा । धर्मांतरण से संस्कृति संरक्षण के लिए ग्राम सभा सक्षम होगी।

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र यानि पाँचवी अनुसूची में आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के नियन्त्रण तथा निर्देश में अपने सभी काम करेगी।

पंकज राय
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी
स्व–सहायता समूह की मदद से श्रीमती बत्तो बाई बनीं कराहल जनपद पंचायत की अध्यक्ष

मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के प्रयासों से स्व–सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। आर्थिक स्वावलम्बन के लिए समूह से जुड़ी महिलाएं अब त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आयीं है।

ऐसी ही एक जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती बत्तो बाई। अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनके कार्य–व्यवहार और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर हुआ। जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का होने का श्रेय बत्तो बाई आजीविका मिशन, स्व–सहायता समूह व अपने क्षेत्र के मतदाताओं को देतीं हैं।

श्रीमती बत्तो बाई प्रदेश के जिला श्योपुर की कराहल जनपद पंचयत के चकरामपुरा गांव की निवासी हैं। इनके परिवार में पति श्री जग्गू आदिवासी, तीन बेटे और एक बिटिया है। बत्तो बाई और उनके पति श्री जग्गू आदिवासी मेहनत मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उससे ही किसी तरह परिवार का गुजर–बसर होता था। बत्तो बाई ने जमीनी स्तर की तकलीफ अैर परेशानियों को बहुत नजदीक से देखा था।

प्रदेश में चल रहे आजीविका मिशन के सहयोग से श्रीमती बत्तो बाई 10 वर्ष पहले दुर्गा स्व–सहायता समूह से जुड़ीं। आजीविका मिशन और स्व–सहायता समूह से इन्हें बहुत सहारा मिला। वे स्व–सहायता समूह के माध्यम से गांव के स्कूल में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य भी करती हैं।

बत्तो बाई ने मजदूरी से अपने परिवार को सम्हाला था। इस दौरान इन्होंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया था। इनके गांव के अन्य परिवार के लोग भी इन्हीं के जैसी परेशानियों से घिरे हुये थे। इनके मन में विचार आया कि स्व–सहायता समूह के साथ–साथ पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों को सहायता दिलवाई जा सकती है। शासन की बहुत सी योजनाएं चल रहीं हैं अगर इनका लाभ गांव के लोगों को दिलवाने की कोशिश की जावे तो गांव के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नीति से भी बत्तो बाई को आगे बढ़ने में मदद मिली। ग्राम विकास और सभी को न्याय दिलाने का संकल्प मन में लिये बत्तो बाई जनपद पंचायत की सदस्य के पद के लिये चुनाव में अपना पर्चा भर दिया।

आर्थिक तंगी के चलने निर्वाचन के जरूरी खर्चे का इंतजाम गांव–बस्ती के लोगों की मदद हुआ। स्व–सहायता समूह के माध्यम से बत्तो बाई को ग्रामीण विकास और आजीविका के विषयों को जानकारी थी। निर्वाचन के दौरान इन्होंने इस जानकारी को अपनी शक्ति बनाई और गांव गांव जाकर इन मुद्दों पर आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करतीं। जनपद पंचायत सदस्य के वार्ड के ग्रामवासियों, मतदाताओं ने बत्तो बाई का साथ दिया और वे निर्वाचन में विजयी हुईं।

अध्यक्ष बनने के बाद बत्तो बाई में आत्मविश्वास, खुशी और जबावदारी भी बढ़ी है। इनमें अपनी जनपद पंचायत में सकारात्मक व सृजनात्मक बदलाव लाने की चाह है। जनपद पंचायत क्षेत्र के लोगों में भी बत्तो बाई से बहुत सी उम्मीदें हैं। बत्तो बाई का लक्ष्य सभी घरों में पानी, शौचालय, मकान, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराना है।

महिला सशक्तिकरण की स्वयं मिसाल बनीं बत्तो बाई दूसरी महिलाओं के लिये भी प्रेरणा बन गई हैं। इनका मानना है कि, महिलाओं को एकजुट होना जरूरी है। हालांकि शासन द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्व–सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। स्व–सहायता समूहों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने व इन्हें आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

स्थानीय सतत् विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला

स्थानीय सतत विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित प्रदेश के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 7 दिसम्बर 2022 को जम्बूरी मैदान भोपाल में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरपंच को प्रतिमाह 1750 रुपये के बजाय 4250 रुपये मानदेय मिलेगा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री माननीय सुरेश धाकड़, भोपाल सांसद माननीया प्रज्ञा सिंह और महापौर माननीय मालती राय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री मलय श्रीवास्तव जी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि आप और मैं एक बराबर हैं। आप गांव की पंचायत के सरपंच हैं और मैं बड़ी पंचायत का सरपंच। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे गांव में ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाएं की कोई लड़ाई झगड़ा तथा एफ. आई.आर. ना हो, छोटे–मोटे झगड़ों का निपटारा गांव में ही पंचायत स्तर पर ही हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रतिदिन पौधारोपण करता हूं आप लोग भी गांव में पौधारोपण करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारी पंचायत स्वच्छ हों।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी ने भी अनाज वितरण में गड़बड़ की, तो सीधे हथकड़ी लगेगी, यह हमने तय किया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में व्यवस्थाओं को देखें एवं उसे सुदृढ़ करें। आवास बनाने का पैसा आवास में ही खर्च हो। हमने 10000 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। योजना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको देखना है कि गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएं। शासन ने यह व्यवस्था की है कि पढ़ाई में फीस आड़े नहीं आयेगी, इसे सरकार भरेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं ताकि इलाज सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 83 लाख हितग्राही चिन्हित किए हैं। किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बेटा–बेटी में कोई अंतर नहीं है। गांव का मास्टर प्लान बनाएं और उसमें प्राथमिकताएं तय कीजिए कि कौन सा काम कराना है। कोई भी अधिकारी अब यह तय नहीं करेगा कि कौन सा कार्य करना है, ग्रामसभा काम तय करेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर काफी अड़ंगे लगाए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराउंगा और यह कर दिखाया है।

उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में प्रदेश की 23 हजार 12 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षण निर्धारित नौ थीम – गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत संस्थान – मध्यप्रदेश जबलपुर के संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत, श्री पंकज राय एवं श्री सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा दिया गया।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

जनजाति समुदायों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 'थिंक एंड डू टैंक'' राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

दीनदयाल शोध संस्थान एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की संयुक्त तत्वाधान में जनजाति समुदायों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 15 से 16 दिसंबर 2022 को ''थिंक एंड डू टैंक'' राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आरोग्यधाम, चित्रकूट के सभागार में किया गया।

उक्त कार्यशाला के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल रहे। कार्यशाला में सतना जिले की प्रभारी एवं वन मंत्री कुंवर विजय शाह, श्री राम खेलावन पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मलय श्रीवास्तव, दीपक खांडेकर, श्री संजय कुमार सराफ, संचालक एमजीएसआईआरडी एण्ड पीआर, जबलपुर उपस्थित रहे।

कार्यशाला में देशभर के अलग–अलग क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने बताया कि विभिन्न शिक्षा केंद्रों के खुलने से आदिवासी समाज में अधिक से अधिक लोग शिक्षित होकर अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन ला रहे हैं। यातायात के साधन संचार व डाक व्यवस्था में सुधार के बावजूद आर्थिक और तकनीकी पिछड़ेपन के साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं और गैर आदिवासी आबादी को साथ आत्मसात करने की समस्या के कारण अभी भी विकास की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं।

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि जितने जंगल आज बचे है, शायद उसका कारण हमारे वनवासी बंधु, भगिनी ही है क्योंकि वे वहॉ रहते हैं और उसका संरक्षण व संवर्धन करते है। ये उनके आर्थिक स्त्रोत के

संसाधन है। जितना विस्थापन इस समाज का हुआ है शायद उतनी सुविधायें उन्हें हम आज भी प्रदान नहीं कर पायें है। इस पर हम सभी को सामुहिक प्रयास कर उन्हें राष्ट्र समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यषाला में जनजातीय सामुदायों के लाभ के लिए नीतियों और कानूनों के बीच संबंध और जमीन पर इसके वास्तविक कार्यान्वयन पर चर्चा के साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006, जनजातीय समुदायों के आजीविका एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। प्रभावी चर्चा उपरांत उक्त विषयों पर बिन्दुवार एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख बिन्दु अग्रांकित है–

- पेसा एवं वनाधिकार कानून के प्रभावी कियान्वयन में आने वाली बाधाओं हेतु सुझाव
- वन कानून को कानून के रूप में ही सतप्रतिषत लागू किया करेंगे।
- आदिवासियों के परंपरागत गांव में ही उनको सामुदायिक वनों के प्रबंधन का अधिकार हो।
- वन विज्ञान केन्द्रों का निर्माण करते हुये ग्राम सभाओं को सक्षम बनाया जायेगा।
- ''CFR Forest'' का फारेस्ट रिकार्डस और रेवेन्यू रिकार्डस में डॉक्यूमेंटेषन किया जायेगा।
- समय–समय पर एमओटीए द्वारा संदर्भित प्रपत्रानुसार आईएफआर के रिकार्डस तैयार किये जायेगा।
- एसएलएमसी मीटिंगस में दो तीन वनाधिकार विषेषज्ञों की उपस्थिति अनिवार्य की जायेगा।
- सिकिल सेल एनीमिया, लेप्रोसी, कुपोषण जैसे स्वास्थ्य समास्याओं की समयबद्ध स्क्रीनिंग करते हुये। गांव के परंपरागत वैद्य, बैगा के साथ मिलकर व्यापक जनजागरूकता हेतु प्रयास किया जायेगा।

- स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी सरकारी विभाग एवं सामुदायिक नेतृत्व के सामुहिक प्रयासों को अभियान का स्वरूप दिया जायेगा।
- पौष्टिक अनाज व फल कंद, मूल आदि की खेती के द्वारा स्थानीय और पारंपरिक पोषण स्त्रोतों का विकास किया जायेगा।
- वन औषधियों के चिकित्सीय लाभ के समुचित ज्ञान के रिकार्ड रखे जायेंगे।

उक्त कार्यषाला में जनजातीय समूहों की बेहतर आजीविका उर्पाजन हेतु ग्राम सभाओं के सषक्तिकरण हेतु महाराष्ट्र का ''बरीपदा–कुरखेड़ा–वाड़सा'' मॉडल अपनाये जाने की भी घोषणा की गई।

महामहिम राज्यपाल ने अत्यंत संवेदनषीलता से अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि अनुसूचित जनजातिय समाज के लिए सभी को मन से कार्य करने की आवष्यकता है। उन्होंने यह भी आष्वासन दिया कि वन विभाग, राजस्व विभाग, जनजाति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग मिलकर इस विषय को आगे बढ़ायेंगे।

घोषणा–पत्र को लेकर दीनदयाल शोध संस्थान एवं वनवासी कल्याण आश्रम ने यह बताया कि जो विषय केन्द्र सरकार के है, उनके लिये केन्द्र सरकार से एवं जो विषय विभिन्न राज्यों से संबंधित है, उनको संबंधित राज्यों के साथ चर्चा करके उनके निराकरण का प्रयास किया जायेगा।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेष अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि परंपरागत पाराटोला को ग्राम सभा घोषित करते हुये उनके समृद्धिकरण हेतु मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा में उपस्थिति की अनिवार्यता पर भी विचार करते हुये प्रयास करने की आवष्यकता है।

कार्यक्रम में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन द्वारा किया गया। समापन सत्र में राज्य सभा सासंद श्री सुधांषू त्रिवेदी एवं महात्मा गांधी ग्रामोदय विष्वविद्यालय के कुलपति डॉ. भरत मिश्र, वसंत पंडित कोषाध्यक्ष, दीनदयाल शोध संस्थान, श्री दीपक खाण्डेकर, डायरेक्टर ट्राइवल सेल उपस्थित रहे।

श्रृद्धा सोनी
खण्ड पंचायत अधिकारी

विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायत पुरुस्कार

मध्यप्रदेश पंचायत चुनावों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की थी कि जिन ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन और सर्व सम्मति से चुनाव होगें, उन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तो ज्यादा और प्रमुखता से किये ही जावेगें साथ ही उन्हें पुरुस्कृत भी किया जावेगा।

जिसके पीछे शासन की मंशा है कि पंचायत चुनाव के दौरान होने वाले आपसी झगड़े–फसाद एवं मनमुटाव खत्म कर म.प्र. शासन ने 'समरसता पंचायत' की पहल की है। ताकि ग्राम स्तर पर ग्रामीणों में होने वाले आपसी विवाद, मनमुटाव से पंचायतें ठीक से काम नही कर पाती है इस कारण उन्होंने निर्वाचन के पश्चात् बेहतर ढ़ंग से काम करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए अन्य पंचायत पुरुस्कार की घोषणा भी की है।

निम्न चार श्रेणियों में पंचायत पुरुस्कार –

1. **आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायत का पुरुस्कार –**

- नागरिकों को बेहतर सेवाऐं देने के लिए कराधान की मजबूत व्यवस्था।
- जन सहयोग व कर संग्रहण से ग्रामीणों को सुविधा व सेवा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का पोषण उन्नयन एवं बैंक लिंकेज।
- मनरेगा अंतर्गत स्थाई आजीविका, हर पात्र परिवार को आवास, राशन, गैस आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

2. **जल परिपूर्ण पंचायत का पुरुस्कार–**

- जल जीवन मिशन का अधिकतम उपयोग
- जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्द्धन।
- अमृत सरोवरों का निर्माण

3. **बाल एवं महिला हितेषी पंचायत का पुरुस्कार।**

- महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सभी संसाधनों से युक्त आंगनवाडियां।
- कुपोषण से मुक्ति :– बेटियों व महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ दिलाना।

4. **स्वच्छ, स्वस्थ्य एवं हरित पंचायत का पुरुस्कार।**

- ग्राम पंचायत के शत–प्रतिशत घरों में शौचालय।
- स्वच्छता मापदण्डों को बनाये रखना।
- स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का नियमित संचालन।
- वृक्षारोपण संरक्षण, संवर्द्धन हेतु संवेदनशील होना।

जिसके लिए उक्त चार श्रेणियों में निम्न तीन पुरुस्कार प्रदान किये जावेगें

प्रथम पुरूस्कार	–	50 लाख रूपये
द्वितीय पुरुस्कार	–	25 लाख रूपये
तृतीय पुरुस्कार	–	15 लाख रूपये

आशा है कि, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरुस्कार की घोषणा के फलस्वरूप निश्चित रूप से नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधि उत्साहपूर्वक अपने गांव एवं ग्रामवासियों की आशा पर खरे उतरेंगे तथा गांव में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अपने कार्यकाल का भरपूर सद्उपयोग कर सबके सहयोग से **ग्राम पंचायत** को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

विमल शंकर नागर
संकाय सदस्य

दुर्लभ वनोषधियों से समृद्ध है मध्यप्रदेश

वनोषधियों पर आधारित हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को विश्व के दूसरे देशों में भिन्न–भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के रूप में स्वीकारा है। यही कारण है कि पूरी दुनियां में औषधीय पौधों एवं

अन्य प्राकृतिक उत्पादो की मांग बढ़ती जा रही हैं वनोषधियों की विकास दर पूरे विश्व में इस समय लगभग 25 से 27 प्रतिशत है। लेकिन 60 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के वनोषधियों के विश्व व्यापार में भारत का योगदान केवल एक प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश के वनों ने प्रकृति ने असख्य दुर्लभ जड़ी–बूटियां मानव को उपहार के रूप में दिया है। म0प्र0 ने इनके संरक्षण संवर्धन के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। राज्य में उपलब्ध दुर्लभ जड़ी बूटियों के पेटेंट अधिकार दिलाने तथा विभिन्न उपचार पद्धतियों की प्रमाणिकता के लिये वन विभाग द्वारा पहल की गई है। वनोषधियों से न सिर्फ निरोगी समाज बना है वरन देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हुई है। इस तरह वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये वनोषधि उत्पादन आजीविका एवं रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण विकल्प बन रहा है।

आयुर्वेदिक भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित वन मेलों में परंपरागत वनोषधि विशेषज्ञ वैद्याचार्यों ने लाखों रोगियों का निःशुल्क उपचार किया है। लघुवनोपज, वांस, शहद, गोंद, लाख और सुगंधित घांस आदि का संग्रहण एवं मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों प्रसंस्करण भंडारण, गुणवत्ता निर्धारण एवं विपणन की एक अच्छी व्यवस्था कायम की जा रही हैं। इस कड़ी में प्रदेश में छोटे–छोटे गोदामों का निर्माण कराया गया है। मध्य प्रदेश के शहरों में विन्ध्य हर्बल ब्रांड नाम से संजीवनी आयुर्वेदिक नाम का रिटेल आउट लेट भी उपभोगताओं में अपनी पहचान बना रहा है।

वर्तमान में कई छोट–छोटी प्राथमिक वनोपज समितियां गुणवत्ता के ऊंचे स्तर पर पहुंच कर कई आयुर्वेदिक औषधी कॉसमेटिक उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ तैयार कर रही है। सही दिशा मे उठाये जा रहे कदम के बावजूद वनोषधि एवं अन्य गैर कास्ट, वनोउत्पाद के क्षेत्र में अभी काफी संभावनायें हैं। दृढ संकल्प एवं सही नेतृत्व के बल पर तथा जन सहभागिता से ही दुर्लभ वनोषधियों में इस विशाल संपदा का उपयोग विपणन के साथ–साथ उन्हें भावी पीढ़ी के लिये भी उन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा।

झनक सिंह कुहकुटे
संकाय सदस्य

किसान पोर्टल http://www.farmer.gov.in/

लाखों सीमांत और छोटे किसान होने के बावजूद भारतीय किसान उत्पादन और उत्पादकता में किसी से पीछे नहीं हैं। वे विकसित देशों में किसानों की तरह ही उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को कुशलता से अपनाते हैं। यह महसूस किया गया है कि उर्वरक बीज कीटनाशकों जैसे समय पर और पर्याप्त इनपुट के प्रावधान के साथ और किफायती कृषि ऋण/फसल बीमा उपलब्ध कराकर भारतीय किसान राष्ट्र को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मौजूदा वितरण चौनलों के पूरक के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कृषक समुदाय और निजी क्षेत्र को सूचना और सेवाएं। किसान पोर्टल इस दिशा में एक भारतीय किसान के कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के उत्पादन बिक्री / भंडारण से संबंधित सभी सूचनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप बनाने का एक प्रयास है। इससे भारतीय किसान को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई गई वेबसाइटों की भूलभुलैया के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान पोर्टल में एक बार एक किसान अपने गांव / ब्लॉक / जिले या राज्य के आसपास के विशिष्ट विषयों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह जानकारी टेक्स्ट एसएमएस ईमेल और ऑडियो/वीडियो के रूप में उस भाषा में दी जाएगी जिसे वह समझता है। होम पेज पर दिए गए भारत के मानचित्र के माध्यम से इन स्तरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। किसान विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विकसित फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से विशिष्ट प्रश्न पूछने के साथ–साथ बहुमूल्य प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम होंगे।

एम–किसान पोर्टल http://www.mkisan.gov.in/

मई 2014 के ट्राई के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 38 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन हैं हालांकि, देश में इंटरनेट का प्रवेश (एकल अंक प्रति शत में) अभी भी काफी कम है इसलिए मोबाइल द्वारा भेजे गये संदेश अब तक लगभग 8.93 करोड़ खेत परिवारों के लिए व्यापक एवं सबसे प्रभावी साधन है mKisan एसएमएस पोर्टल किसानों के लिए उनकी भाषा में कृषि पद्धतियों और स्थान की पसंद के अनुसार जानकारी / सेवाएँ और परामर्श देने के लिए केन्द्रीय और सभी राज्य सरकारों व कृषि के क्षेत्र में संगठनों और संबंधित क्षेत्रों को सक्षम बनाता है

कृषि विस्तार (प्रयोगशाला से खेत तक अनुसंधान विस्तार) के भाग के रूप में राष्ट्रीय ई शासन –कृषि योजना के अंतर्गत सेवाओं को किसानों तक पहुँचाने के विभिन्न तरीकों की परिकल्पना की गई है इनमें पिको प्रोजेक्टर और छोटे उपकरणों से सुसज्जित विस्तार कर्मियों की पहुंच के साथ मिलकर विभागीय कार्यालयों में स्क्रीन कियोस्क एग्री क्लीनिक निजी मीडिया सामान्य सेवा केंद्र किसान काल सेंटर और इंटरनेट शामिल हैं हालांकि मोबाइल टेलीफोन (इंटरनेट या बिना इंटरनेट) कृषि विस्तार का सबसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी साधन है

कृषि एवं सहकारिता विभाग की अपनी टीम द्वारा सोची व विकसित इस परियोजना ने वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और सरकार के अधिकारियों की मोबाइल फोन के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक किसानों को परामर्श प्रदान करने सूचना देने की पहुँच को बढाया है 16 जुलाई 2013 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन एवं अपनी स्थापना के उपरान्त एसएमएस पोर्टल से लगभग 49 करोड़ संदेश या 152 करोड़ से अधिक एसएमएस देश के हर कोने के किसानों को भेजे जा चुके हैं

यह संदेश समय एवं किसानों की विशिष्ट जरूरतों और प्रासंगिकता के अनुसार ही भेजे जाते हैं इन संदेशों के बाद और अधिक जानकारी पाने के लिए किसान कॉल सेंटर में कॉल की भारी आमद उत्पन्न हो जाती है

यूएसएसडी (असंरचित पूरक सेवा डेटा) आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) और पुल एसएमएस इत्यादि सेवाओं ने किसानों और अन्य हित धारको को न केवल प्रसारित संदेशों को प्राप्त करने के लिए के लिए सक्षम बनाया है, बलिक यह सब सेवाएँ बिना इंटरनेट वाले मोबाइल पर भी प्राप्त की जा सकती हैं अर्द्ध साक्षर और निरक्षर किसानों को भी आवाज द्वारा संदेशों को पहुँचाने के लिए लक्षित कर रहे हैं।

शिवकुमार सिंह,
प्रोग्रामर

समूह की महिलाएं अब मिक्चर मशीन संचालित कर रही है

अब देखा जा रहा है कि महिलाएं किसी भी कार्यक्षेत्र में पीछे नहीं है प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपना नाम का शौर्य बढ़ा रही है। अब कोई भी समाज में बेचारी अबला नहीं है, अगर महिला चाहे तो आगे बढ़ने के लिऐ हर कठिन परिश्रम कर समाज में आगे आकर के अपना नाम और परिवार का नाम रोशन कर सकती है वशर्ते महिला में स्वयं का आत्मविश्वास एवं जुनून होना चाहिए।

इसी जुनून एवं आत्म विश्वास की एक कहानी दमोह जिले की जनपद बटियागढ़ की ग्राम पंचायत केखना की संगीता अहिरवार की है, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इनको अध्ययन करने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा और ये स्नातक तक की ही शिक्षा प्राप्त कर पाई और फिर इनके माता पिता ने इनकी शादी कर दी पर इनके मन में एक विश्वास था कि जिदंगी में कुछ करना है पर शादी हो जाने के कारण ज्यादा शिक्षा भी नहीं हो पाई लेकिन कहते है ना कि मन में विश्वास और जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। और यही जुनून संगीता को भी था जिसके कारण ये शादी के बाद गांव में आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगी परन्तु साथ में आर्थिक वृद्धि महीने के 3000 रूपये तक ही हो पाती थी जिसके कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था फिर इनके द्वारा यहां गांव में देखा कि बहुत सी महिलाएं स्व–सहायता समूह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए है और इन्होने समूह के माध्यम से अपने परिवार एवं स्वयं की स्थिति अच्छी हो रही है।

फिर संगीता भी वर्ष 2020 में पंचमुखी स्व–सहायता समूह से जुड़ी। उसके बाद सबसे पहले संगीता ने सीआरपी के रूप में कार्य किया, फिर समूह संगठन का कार्य एवं समूह से दस्तावेजों का संधारण का कार्य सीखा और समय–समय पर जनपद एवं जिला से प्रशिक्षण प्राप्त करती रही। इनके समूह को बैंक लिकेज की राशि प्राप्त हुई इस बैंक लिकेज से लगभग 90000 रूपये की प्राप्त राशि से समूह के संगीता द्वारा मिक्चर मशीन खरीदी गई और धीरे–धीरे समूह की सहायता से रिवॉल्बिंग एवं शीड़ लोन लेके ऋण भी चुकाती गई और स्व–सहायता समूह की सहायता से अपने लिए एक निर्माण कार्य करने वाली मिक्चर मशीन क्रय की मिक्चर मशीन क्रय करने के बाद संगीता एवं उसके सदस्यों द्वारा धीरे–धीरे गांव एवं गांव के आस–पास हो रहे निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु लोगो के द्वारा मिक्चर मशीन को भाड़े पर लेने लगे एवं सरकार द्वारा चल रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत बन रहे आवासों में भी इनकी मिक्चर मशीन को ली जा रही है और इस मिक्चर मशीन के द्वारा समूह की प्रत्येक सदस्य को 10–12 हजार रूपये की प्रत्येक माह आय हो रही है जिससे समूह की प्रत्येक सदस्य को रोजगार भी मिला और बहुत खुश भी है ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ भी सभी को मिल सके इसी आशा के साथ।

लवली मिश्रा,
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी रूखमा की जुबानी

जैसा समूह का नाम वैसा ही काम है मेरे (रूखमा मालवीय) समूह का जिसका नाम लक्ष्मी स्व सहायता समूह है जिसमें वर्तमान में 13 सदस्य है, समूह में जुड़ने से पूर्व समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सदस्य मजदूरी करने थे, इतना ही नहीं कुछ सदस्यों को तो काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता था और मजदूरी से जो आय प्राप्त होती थी उससे समूह के सदस्य अपने परिवार की जीविका चलाते थे परन्तु जब से मेरे समूह के सदस्य समूह से जुड़े है तब से मानो समूह को लक्ष्मी जी का आषीर्वाद मिल गया है। आज समूह के अधिकत्तर सदस्य अपनी स्वंय की गतिविधि चला रहें है, अब इन्हें किसी के यहा मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता है और न ही काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। यह समूह सदस्य ग्राम में ही रहकर स्वंय की गतिविधि से आय प्राप्त कर रहें है तथा गतिविधि से जो आय प्राप्त होती है उससे समूह सदस्य के परिवार की आजीविका चलती है, समूह सदस्यों के बच्चें शासकीय स्कूल के अलावा प्रायवेट स्कूल में भी पढ़ने जाने लगे है। अब हमारे परिवार का समाज में पूर्व की तूलना में सामाजिक स्तर भी बढ़ा है।

अभी तक हमारे समूह की कुल बचत 86040/– रूपयें हो गई है। समूह ग्राम संगठन से आपसी साख के आधार पर 711400/– रूपयें ऋण ले चुका है। इतना ही नहीं समूह बैंक लिंकेज के माध्यम से बैंक से 185000/– रूपयें का ऋण भी प्राप्त कर चुका है।

हमारे समूह के सदस्यों ने उक्त राषि का उपयोग अलग – अलग गतिविधि (Multiple Activity) में किया है ।

मैने (रूखमा) समूह से अभी तक 86000/– रूपयें ऋण के रूप में ग्राम संगठन से तथा 115000/– रूपयें बैंक ऋण के रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, जिसका उपयोग में जनरल स्टोर्स, किराना दुकान, सेनेटरी नेपकिन रिपेकेजिंग यूनिट संचालन व सिलाई कार्य में कर रही हूँ। इन सब गतिविधियों से मुझे 15000/– से 18000/– रूपये तक की मासिक आय प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार समूह की अन्य सदस्य रोड़ी बाई पति मांगीलाल ने समूह से 87000 रूपयें का ऋण प्राप्त कर चाय दुकान व हेयर सेलून (नाई दूकान) का संचालन करने में किया है। जिससे इनके परिवार की आय 11000/– रूपयें तक मासिक हो रही है। जस्सु बाई पिता बालू जी ने समूह से 72000/– रूपयें का ऋण प्राप्त किया है जिसका उपयोग सिलाई कार्य, हेयर सेलून (नाई दुकान) व भोजनलय संचालन में किया है इन गतिविधियों से इन्हें 13000/– रूपयें की मासिक आय प्राप्त हो रही है। निर्मला बाई/ राधेष्याम ने 68000/– इनमें का ऋण प्राप्त कर सेन्टिग तराफा (मिस्त्री कार्य) गतिविधि में किया है जिससे इन्हें 12000/– रू. मासिक आय हो रही है। रीना बाई पति मेहरबान से 47500/– रू. का ऋण प्राप्त किया है। जिसका उपयोग सेंटिंग तराफा (मिस्त्री कार्य) एवं बकरी पालन में कर रही है इन गतिविधियों से इन्हें 10000 से 12000 रू. तक मासिक आय हो रही है। रम्भाबाई–आत्माराम ने 54000/– रू. का ऋण प्राप्त किया जिसका उपयोग सैन्टिंग तराफा, मिस्त्री कार्य व सब्जी उत्पादन में कर रही है जिससे इन्हें 12000/– रू. से अधिक की मासिक आय हो जाती है। इसी प्रकार रतनबाई–प्रभुलाल ने समूह से 132000/– रू. का ऋण (67000 रू. ग्राम संगठन व 65000 रू. बैंक के माध्यम से) प्राप्त किय जिसका उपयोग आलू,प्याज व लहसुन की व्यवसायिक खेती में किया है, इस गतिविधि से इन्हें 15000 से 18000 रू. तक मासिक आय हो जाती है । समूह सदस्य संगीता बाई–राजेष समूह द्वारा संचालित षासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्स में का कार्य व किराना दुकान का संचालन कर रही है। इससे इन्हें 10000 से 12000 रू. तक की मासिक आय हो जाती है। यह सभी सदस्य प्राप्त आय का उपयोग अपने परिवार की आजीविका चलाने में कर रहें है।

इतना ही नहीं वर्तमान में लक्ष्मी स्व सहायता समूह द्वारा ग्राम पंचायत थड़ौदा में शासकीय उचित मूल्य की दूकान (PDS) का संचालन भी किया जा रहा है।

इस प्रकार समूह के उक्त सदस्य आजीविका गतिविधि के माध्यम से जुड़कर अच्छी आय प्राप्त कर रहें है जिसके चलते इन सदस्यों के परिवार के रहन सहन के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। समूह की महिलाऐं शासकीय योजना को जानने लगी है। वह ग्राम सभा में जाकर निर्णय लेने में सहभागिता निभाती है। इस प्रकार समूह में जुड़ने के कारण ही कई परिवार मजदूरी छोड़कर अपने स्वंय के कारोबार में लगे हुए है। यह परिवार पहले मजदूरी पर निर्भर थे अब आत्मनिर्भर है।

इन सभी कारणे से मेरे स्व सहायता समूह की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है एवं भारत सरकार द्वारा समूह को पुरूस्कृत भी किया जा चुका है। पुरूस्कार स्वरूप स्व–सहायता समूह को दिसम्बर 2016 में 100000/– (एक लाख रू.) गतिविधि संचालन हेतु सहयोग राषि भी प्रदान की गई है। जिसका सद्उपयोग हमारा स्व सहायता समूह कर रहा है। इस उपलब्धि का श्रेय में व मेरे समूह के सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन को देते है।

परन्तु समूह में कुछ सदस्य ऐसे भी है जिनकी वर्तमान में पारिवारिक कारणों व परिस्थितिवष आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिनका विवरण इस प्रकार है–

1) सुगनबाई पति स्व. चैना जी – इनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इन्होने 45000/– ऋण लेकर गतिविधि चालू की थी जो कि वर्तमान में बंद है।

2) सूगनबाई–स्व. गंगाराम जी – इन्होंने भी समूह से 45000/– रू लोन लेकर भैंस पालन का कार्य प्रारम्भ किया था परन्तु पति की मृत्यु होने से गतिविधि संचालन नहीं होने से परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

3) अल्का बाई–तेजुलाल ने समूह से 72000/– ऋण लेकर चूड़ी निर्माण व बकरी पालन की गतिविधि प्रारम्भ की थी परन्तु पारिवारिक कारणो से वर्तमान में यह गतिविधि संचालित नहीं है।

4) लीला बाई–रामचन्द्र इन्होने भी समूह से 25000/– ऋण लेकर किराना दुकान व बकरी पालन का कार्य प्रारम्भ किया था परन्तु पारिवारिक कारणो से इनकी यह गतिविधियाँ भी वर्तमान में बंद है।

5) इसी प्रकार अलकाबाई–लालजी राम ने भी समूह से 42900/– रू. का ऋण लिया था जिसका उपयोग इन्होने बकरी पालन व अन्य गतिविधि में किया था इन्होने ग्राम ज्योति का कार्य भी किया है परन्तु वर्तमान में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

अतः उक्त सभी प्रकार की जानकारी मौके पर उपस्थिति समूह सदस्य अलकाबाई, निर्मला बाई, लीलाबाई एवं रूखमा मालवीय द्वारा दी गई है।

संजय कुमार पाटिल,
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट रू जनजातीय समुदाय को मिले उनके अधिकार

पेसा एक्ट अर्थात पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए पारंपरिक ग्रामसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। पेसा एक्ट के तहत जनजातीय समुदाय की पारंपरिक समाजिक व्यवस्थाओं को मान्यता दी गई है।

मध्यप्रदेश में 15 नवम्बर 2022 को शहडोल जिले में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने मध्यप्रदेश पेसा एक्ट नियमावली का विमोचन कर उसे लागू करने की घोषणा की। प्रदेश में लागू पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को अब अधिक सशक्त और अधिकार संपन्न बनाया गया है। ग्रामसभाएं अपनी जनजातीय परम्पराओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान को कायम रखते हुए सामुदायिक साधनों भूमि, जल और वनों का प्रबंधन करेंगी । जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के अधिकार मिलेंगे।

मध्यप्रदेश के 20 जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों के 89 विकासखंडों की 5254 ग्राम पंचायतों के 11757 ग्रामों में म. प्र. पेसा नियम 2022 लागू हो गए हैं। इन ग्रामों में 20 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2022 के मध्य विशेष ग्रामसभाएं आयोजित कर पेसा नियमों की विस्तृत जानकारी दी जावेगी एवम पेसा एक्ट जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट को समाजिक समरसता के साथ लागू किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के द्वारा जनजातीय समुदाय को मिले अधिकारों के प्रमुख बिंदु –

1. जल संबधित अधिकार –

- ग्राम सभा को अपनी सीमा क्षेत्र के भीतर जल संसाधनों और लघु जल संभर की योजना और प्रबंधन का अधिकार। लघु जल संभर से आशय प्राकृतिक व मानवनिर्मित जल निकाय, जल संरचना, तालाब, पोखर, डबरी आदि।

- ग्राम पंचायत 10 हेक्टेयर तक के लघु जल संभर के लिए मत्स्य पालन, पेयजल प्रबन्धन करेंगी।
- 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के जलाशय का प्रबंधन सम्बन्धित स्तर की पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- जलाशयों को प्रदूषित करने वालों पर ग्रामसभा को कार्यवाही का अधिकार होगा।

2. जंगल सम्बन्धी अधिकार

- ग्राम सभा गौण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन , जैव विविधता व जैविक स्रोतों का रक्षण एवम संवर्धन कर सकेगी। इसके लिए ग्राम सभा वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।
- ग्राम सभा गौण वनोपजों एवम तेंदूपत्ता का संग्रहण, मूल्य निर्धारण और विपणन कर सकेगी।
- ग्राम सभा द्वारा पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व तथा प्रबंधन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुसार होगा।

3. भूमि प्रबंधन के अधिकार

- ग्रामसभा किसानों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजना तैयार करेगी। इसमें खाद बीज की व्यवस्था, सिंचाई हेतु वर्षा जल संचयन और वितरण, मिट्टी के कटाव की रोकथाम , फसलों को बचाने के लिए चराई का विनियमन आदि शामिल है।
- पटवारी एवम बीटगार्ड ग्राम सभा को गांव के अद्यतन राजस्व और वन अभिलेख अर्थात नक्शा, खसरा, बी – 1 आदि उपलब्ध करवाएंगे।
- राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का ग्राम सभा को होगा अधिकार।
- भू–अर्जन , खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति और परामर्श लिया जावेगा।
- कपट द्वारा अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार ग्रामसभा को होगा।

- ग्राम सभा कब्जे वाली भूमि वापस दिलवा सकेगी।

4. शांति एवम सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार

- ग्राम सभा एक तिहाई महिला सदस्यों को शामिल कर शांति एवम विवाद निवारण समिति का गठन करेगी। यह समिति परंपरागत तरीके से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी। स्थानीय पुलिस थाने में ग्राम संबंधी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर इस समिति को सूचित कराया जाएगा।
- सामाजिक सौहार्द और भाईचारा कम करने वाली किसी भी गतिविधि का ग्राम सभा समर्थन नहीं करेगी।

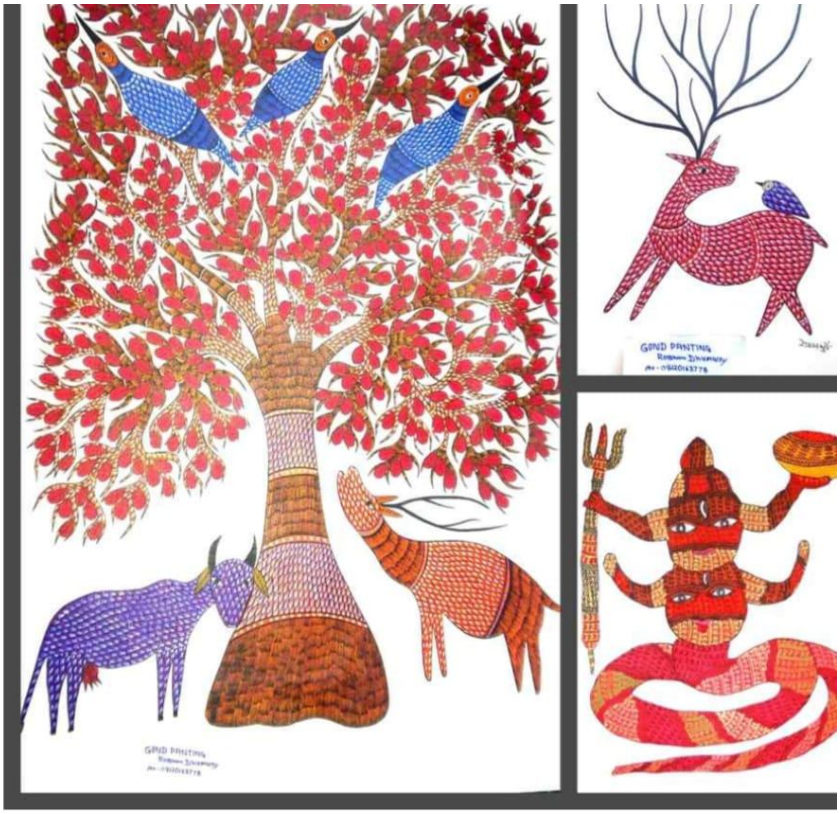

गोंड चित्रकला

5. जनजातीय गौरव के संरक्षण और संवर्धन सम्बन्धित अधिकार

- ग्राम सभा की अनुमति के बिना शराब, भांग की दुकान नहीं खोली जाएगी।
- ग्राम सभा क्षेत्र में संचालित शराब, भांग की दुकान के स्थल परिर्वतन की अनुशंसा कर सकेगी।
- ग्रामसभा को सार्वजनिक स्थानों पर शराब के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवम अवैध बिक्री को रोकने का अधिकार होगा।
- ग्राम सभा को स्कूल , आंगनबाड़ी , स्वास्थ्य केंद्र, आश्रम शाला एवम छात्रावासो के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- ग्राम सभा को धर्मांतरण से जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा।
- ग्रामसभा अपने क्षेत्र अंतर्गत हाट बाजार एवम मेलों का प्रबंधन करेगी।
- ग्राम सभा को जनजातीय परम्पराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का अधिकार होगा।

6. श्रम शक्ति नियोजन का अधिकार

- ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण से वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगी।
- हितग्राहीमूलक योजनाओं के मस्टर रोल में फर्जी नाम या अन्य त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार ग्रामसभा को होगा।
- गांव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियमन एवम प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास ग्राम सभा करेगी।
- ग्रामसभा यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई शासकीय योजनाओं , विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिकों को मिले।
- नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- ग्राम सभा ग्राम के हर पात्र मजदूर को मांग आधारित रोजगार दिलवाएगी।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.